

E-mail / FAX / Upload

सं0सं0-18/विविध-12/2015.2029.....(18)

स्वास्थ्य विभाग  
बिहार, पटना।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,  
बिहार।

पटना, दिनांक: 31/12/2015

विषय:-एसिड अटैक पीड़ितों/बलात्कार पीड़ितों को तत्काल निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए धारा-357c Cr P C के अनुपालन के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपने स्तर से अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी निजी एवं सरकारी चिकित्सकों की एक बैठक बुलाई जाय, जिसमें एसिड अटैक/बलात्कार पीड़ितों को तत्काल निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु धारा 357c Cr P C में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः यथा-[357C. Treatment of victims.-All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately provide the first-aid or medical treatment free of cost to the victims of any offence covered under section 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) and shall immediately inform the police of such incident.] अनुपालन हेतु निदेश सभी संबंधित को दिया जाय।

बैठक में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एक माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

  
(प्रधान सचिव) 29/12/15

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

for  
E-mail & upload